FORM NO. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER..................

ालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

र्गत **धारा** – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वान् – श्रीमती जूमली व अन्य बनाम् साकिर अली व अन्य मुकदमा संख्या – A/390/2024

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
04.10.2024	प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण संख्या 01 से 34 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश भाटी व जगताराम उपस्थित। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उपस्थित अधिवक्ता की एक पक्षीय अंतरिम बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने व बहस के दौरान बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अराजी भूमि वाके ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1405/5 व 1405/6 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता हैं कि उपरोक्त वर्णित अराजी भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, भूमि का बेचान व हस्तांतरण न करें। उक्त सभी कृत्य अप्रार्थीगण द्वारा न तो स्वयं किया जावे न ही किसी ओर व्यक्ति, एजेन्ट व अन्य से करावें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते नोटिस तलबी दिनांक **05.11.2024** को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
3/3/25	माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के पत्रांक क्रमांक/2024/724 दिनांक 27/2/25 से हवाला प्रकरण मय आदेश दिनांक 18/2/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्राप्त हुआ। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 18/2/25 में यह अंकित किया कि "मूलवाद	

Date	Order with initials of Presiding Officer
	निस्तारण Lower court में हो चुका है अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है"। मा. हाईकोर्ट रेकर्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण से संबंधित मूल वाद के आर्डरशीट का अवलोकन किया गया। मूल वाद की आर्डरशीट दिनांक 20/1/25 के अनुसार मूल वाद में प्रार्थना-पत्र O7 R11 CPC स्वीकार होने से मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद से संबंधित हस्तगत प्रार्थना-पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से हस्तगत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से तय होकर आफिस दाखिल दफ्तर हो Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)